न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 41/2023

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. खींवराज पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी मु0पो0 भिंयाड तहसील शिव जिला बाड़मेर (मैसर्स रितु एण्ड कम्पनी, मैन बाजार भिंयाड तहसील शिव जिला बाड़मेर का विक्रेता)
2. श्रीमती सुनीता पत्नी खींवराज जाति जाट निवासी मु0पो0 भिंयाड तहसील शिव जिला बाड़मेर (मैसर्स रितु एण्ड कम्पनी, मैन बाजार भिंयाड तहसील शिव जिला बाड़मेर की मालकिन)
3. दिनेश आर्य पुत्र रामकिशन आर्य (मैसर्स वरूण बेवरेज लिमिटेड एसपीएल–1–159 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–3 बोरानाडा जोधपुर)
4. मैसर्स वरूण बेवरेज लिमिटेड एसपीएल–1–159 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–3 बोरानाडा जोधपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नवल सिंह राठौड, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.05.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

संख्या 1 की फर्म **मैसर्स रितु एण्ड कम्पनी, मैन बाजार भिंयाड तहसील शिव जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **21.03.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज (स्लाईस ब्राण्ड)** के 12 बोतल प्लास्टिक के कार्टून में रखी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **4 बोतल 1.2–1.2 लीटर वाली रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज (स्लाईस ब्राण्ड)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1965** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज (स्लाईस ब्राण्ड)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज (स्लाईस ब्राण्ड)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbrand)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **04.04.2023** मे उक्त नमूना **मिथ्याछाप** होना पाया गया है। इस पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया किंतु अप्रार्थीगण अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है जो कि उनके द्वारा कारित अपराध की मौन

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

जुर्म स्वीकारोक्ति है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप सेरूपये 10,000/— अक्षरे रूपये पचास हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर